

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (31.12.2006 को समाप्त

तिमाही (01.10.2006 से 31.12.2006 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	65
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	शून्य
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	01, केन्द्रीय सूचना आयोग ने दिनांक 26.12.2006 के अपने निर्णय द्वारा अपील का निपटान किया था।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ङ)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत विहित दरों के अनुसार प्रभार की धनराशि एकत्रित की जा रही है। 31.12.2006 को समाप्त तिमाही के दौरान एकत्रित की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है: <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन शुल्क के लिए- 330/- रूपए 2. दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए - 1525/- रूपए
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	निर्वाचन, निर्वाचन विधि, दिशा-निर्देश, अनुदेश, मैनुअल, सांख्यिकीय रिपोर्ट, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र, निर्वाचन परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां, निर्वाचनों की अधिसूचनाएं इत्यादि से संबंधित अधिकांश सूचना जन साधारण की सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर पहले से ही डाली जा चुकी है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

30.09.2006 को समाप्त तिमाही (01.07.2006 से 30.09.2006 तक) के लिए सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का विवरण